UPSI180002502009

न्यायालय सिवल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर।

फौजदारी वाद सं०-1854/2009

सरकार बनाम जयकरन।

मुकदमा अपराध सं०-481/2008
धारा-354,504,506 भा०दं०सं०,
थाना-रामपुर मथुरा, जिला- सीतापुर।

आरोप

मैं, रोहित पुरी, सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, महमूदाबाद-सीतापुर आप अभियुक्त **जयकरन** को निम्न आरोपों से आरोपित करता हूँ:-

1. यह कि दिनांक-19.05.2008 को समय करीब 8 बजे रात्रि, स्थान पेश दरवाजा वादिनी बहद ग्राम लोधोनी, थाना रामपुर मथुरा, जिला सीतापुर के सीमान्तर्गत में आप अभियुक्त ने वादिनी मुकदमा श्रीमती पुष्पा की स्त्री लज्जा भंग करने के आशय से उसे पकड़ लिया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-354 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने उपर्युक्त वादिनी मुकदमा को गन्दी-गन्दी गालियाँ देकर साशय अपमानित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-504 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3. यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्त ने उपर्युक्त वादिनी मुकदमा को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। इस प्रकार आपने ऐसा आपराधिक कृत्य कारित किया जो **धारा-506 भारतीय दंड संहिता** के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है तथा इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतदद्वारा निर्दिष्ट किया जाता है कि उक्त आरोप हेतु आप अभियुक्त का विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जाए।

दिनांक-09.02.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

आरोप अभियुक्त को पढ़कर खुले न्यायालय में सुनाया और समझाया गया। अभियुक्त ने उक्त विरचित आरोप से इंकार किया और परीक्षण की मांग की।

दिनांक-09.02.2026

(रोहित पुरी)
सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
महमूदाबाद-सीतापुर।
J.O. Code-UP3474

विजय मौर्य
(स्टेनो)

Digitally signed by ROHIT PURI
Date: 2026.02.09 17:19:39 IST
Reason: Document Owner
Location: Civil Judge (J.D)/J.M.
Mahmoodabad, Sitapur.